सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्याः– 35/प्रा0पत्र/2024 दायरा दिनांक :–21.02.2024

GCMS ID-2024/174

1. किशनी बाई पत्नी लुन्दा जाति रेगर निवासी सिंघाडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी राज.

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत वास्ते इंद्राज दुरस्ती।

वकील प्रार्थी :– श्री लक्ष्मीकांत शर्मा
वकील अप्रार्थी :– पेरोकार सरकार।

निर्णय दिनांक :– 18/09/2025

उपरोक्त विषय में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि भूमि खाता संख्या 243 खसरा संख्या 15 रकबा 0.6232 हैक्टेयर, खसरा संख्या 17 रकबा 1.3355 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.9587 हैक्टेयर वाके ग्राम सिंघाडी पटवार मण्डल सहसपुरिया में विस्थित है, उक्त भूमि लीजदारी में दर्ज है, जिसमें प्रार्थीया के पिता का नाम नन्दा दर्ज हो रहा है। भूमि खाता संख्या 223 खसरा संख्या 934/10 रकबा 0.4856 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.4856 हैक्टेयर वाके ग्राम सिंघाडी पटवार मण्डल सहसपुरिया में विस्थित है, उक्त भूमि गैर खातेदारी में दर्ज है, जिसमें प्रार्थीया के पति का नाम लोदा दर्ज हो रहा है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित भूमियों की जमाबंदी में प्रार्थीया के पति का नाम सहवन से लुन्दा के स्थान पर नन्दा व लोदा अंकित हो गया है। प्रार्थीया अन्यन्त गरीब काश्तकार है, जो परिवार सहित उक्त भूमियों पर आश्रित है, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदीयों में पति का नाम नन्दा व लोदा दर्ज होने से सरकार की योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। प्रार्थीया उक्त भूमियों की हिस्सेनुसार लगान, पिलाई राज्य सरकार को अदा करती चली आ रही है, कोई बकाया नहीं है, अगर फिर भी बकाया निकलता है तो अदा करने को तैयार है। प्रार्थीया के पास उक्त भूमियों के सिवाय आय का अन्य कोई स्त्रोत नहीं है, राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी में सहवन से पति का नाम लुन्दा के स्थान पर नन्दा व लोदा अंकित हो गया है। प्रार्थीया दिनांक 01.04.2022 को फसल विक्रय के लिए भूमि की नकल लेने के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

गए पटवारी साहब के पास गया तो पता चला कि प्रार्थीया के पति का नाम लुन्दा के स्थान पर नन्दा व लोदा राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी में अंकित हो रहा है, जबकि सम्पूर्ण दस्तावेजो में प्रार्थीया के पित नाम लुन्दा अंकित हो रहा है, इसलिए नन्दा व लोदा को दुरूस्त कर लुन्दा दर्ज करवाने बाबत प्रार्थीया ने दिनांक 11.04.2022 को नकल प्राप्त कर श्रीमान तहसीलदार साहब हिण्डोली को भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया लेकिन राजस्व कर्मचारियों द्वारा बाद न्यायालय आदेश के ही राजस्व रिकॉर्ड में नन्दा व लोदा को विलोपित कर उसके स्थान पर लुन्दा का नाम अंकित किए जाने के कहा इसलिए प्रार्थीया के पास उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के सिवाय अन्य कोई कानूनी विकल्प नहीं रहा है। प्रार्थीया काबिज खातेदार आसामी होने से राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी में पति का नाम नन्दा व लोदा को दुरूस्त करवाकर लुन्दा अंकित करवाने की अधिकारी है। प्रार्थीया के पति का नाम राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी में नन्दा व लोदा विलोपित कर लुन्दा अंकित नहीं किया गया तो प्रार्थीया को आर्थिक क्षति होगी जिसकी पूर्ति अर्थ से भी संभव नहीं हो सकेगी तथा प्रार्थीया सरकारी कार्य योजनाओं के लाभ से सदैव के लिए वंचित हो जायेगी। प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क के अन्दर अवधी न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है। प्रार्थीगण की उक्त भूमिया न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार में विस्थित होने से उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकर श्रीमान को प्राप्त है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित कृषि भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी में अंकित प्रार्थीया के पति का नाम नन्दा व लोदा को विलोपित कर उक्त स्थान पर लुन्दा प्रविष्ठ किये जाने का आदेश अप्रार्थी को फरमाया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में पति नन्दा व लोदा के स्थान पर लुन्दा अंकित किये जाने आदेश प्रदान करने की कृपा करे। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी प्रार्थीया के पक्ष में सुलभ हो प्रदान की जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

प्रकरण में अप्रार्थी की ओर से तहसीलदार हिण्डोली के पत्रांक :– राजस्व/25/ 1587 दिनांक :–02.06.2025 से प्राप्त जॉच रिपोर्ट अनुसार मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ग्राम सिंघाडी के खाता संख्या 223 में प्रार्थीया के पति का नाम लोदा दर्ज रिकॉर्ड है व खाता संख्या 243 में प्रार्थीया के पति का नाम नन्दा दर्ज रिकॉर्ड है। मजमा–ए–आम में प्राप्त जानकारी व ग्रामवासियों को उक्त खाता नम्बरों में दर्ज प्रार्थीया के पति का नाम लोदा व नन्दा का सही नाम लुन्दा है। लोदा, नन्दा व लुन्दा एक ही व्यक्ति के नाम होने से रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थीया के पति नाम लोदा व नन्दा के स्थान पर प्रार्थीया के पति का सही नाम लुन्दा दर्ज किए जाने

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थीया के पति का उक्त नाम विरासत के इंतकाल से दर्ज हुआ है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीया की बहस सुनी। वकील प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीया के पति का सही नाम लुन्दा है जिसे मुताबिक प्रार्थना पत्र के दुरूस्त किए जाने का कथन किया गया।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में वर्णित है कि "भूमि अभिलेख अधिकारी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें। कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी। जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं किया गया हो, ऐसे प्रावधान दिए हुए है।"

वकील प्रार्थीया द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को एवं जबाव अप्रार्थी पेरोकार सरकार एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड, बैंक खाता डायरी, भामाशाह कार्ड पेश किए है जिसमें प्रार्थीया के पति का नाम लुन्दा दर्ज है। प्रकरण में जबाव अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा भी प्रार्थीया द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित बताया है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाकर भूमि वाके ग्राम सिंघाडी पटवार मण्डल सहसपुरिया के खाता संख्या 223 में दर्ज किशनी पत्नी लोदा के स्थान प्रार्थीया के पति का सही नाम किशनी पत्नी लुन्दा व खाता संख्या 243 में दर्ज किशनी पत्नी नन्दा के स्थान प्रार्थीया के पति का सही नाम किशनी पत्नी लुन्दा शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :– 18.09.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बूंदी

18/09/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली